तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016
	दिनांक 01.07.2016 सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा–सुमेरपुर में पेश हुई। प्रश्नगत मामले में हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वस्तुस्थिति से जाहिर है कि प्रश्नगत् मामले में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण सं./रिविजन/सीलिंग /150/1995/पाली में पारित निर्णय दिनांक 22.07.98 के विरूद्ध अपील/रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पत्रांक/कोर्ट/सीलिंग/99/884 दिनांक 18.06.99 के जरिए श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली से निवेदन किए जाने पर उनके द्वारा पत्रांक/एफ.12(1)राज./99/2614–17 दिनांक 04.08.99 के जरिए तहसीलदार सुमेरपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करके संबंधित मूल पत्रावली उपखण्ड न्यायालय बाली से प्राप्त कर, राजकीय अभिभाषक राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क करके रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निर्णय दुरूस्त कराने की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये, जिसकी प्रति उपखण्ड अधिकारी बाली को भिजवायी गई। तद्परान्त उपखण्ड न्यायालय बाली द्वारा पत्रांक/कोर्ट/सीलिंग/99/1149 दिनांक 10.08.99 के जरिए संबंधित मूल पत्रावली तहसीलदार सुमेरपुर को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए प्रश्नगत् मामले में उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों पर विधिक विचारण करने के पश्चात् हमारी राय है कि प्रश्नगत् मामले के विवादित बिन्दु संबंधित आगामी कार्यवाही तहसील कार्यालय सुमेरपुर के स्तर पर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्तर पर विचारार्थ रहने से इस न्यायालय में विचारार्थ प्रश्नगत् प्रकरण की आगामी कार्यवाही को आगे चलाने का कोई विधिक औचित्य नहीं रहता है और इस स्थिति में प्रश्नगत् प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप करना उचित समझते है। अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः इस न्यायालय में विचारार्थ प्रश्नगत् प्रकरण की आगामी कार्यवाही को ड्रोप करने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार सुमेरपुर को इस आदेश के अनुरूप प्रगति व अग्रिम कार्यवाही के लिए आदेश की सत्यापित प्रति पालनार्थ सुनिश्चित करने हेतु भिजवायी जावे। यह आदेश बरोज आज दिनांक 01.07.2016 को फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित व नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner